फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

ओमप्रकाश बनाम जगदीश वगै0

किस्म मुकदमा–251क आर0टी0ए0 मु0नं0– 113/2024

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.03.2025	पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र हेतु पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जेकाश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 1262 रकबा 0.19 है0, खसरा नंबर 1260 रकबा 0.19 है0 वाके रामा बहरावण्डा तह0 बहरावण्डा जिला दौसा में स्थित है जिसके प्रार्थीगण खातेदार काबिज काश्तकार है। तथा खसरा नंबर 1260 व 1262 में प्रार्थीगण ने अपनी कृषि उपज एवं कृषि यंत्र रखने चारा फूस बलीता आदि रखने व मवेशीयान को बांधने के लिए आदि के लिए निर्माणात कर रखे है। अप्रार्थीगण की खातेदारी कब्जेकाश्त की भूमि खसरा नंबर 1263 वाके रामा बहरावण्डा में स्थित है जो कि आबादी भूमि से लगते हुए है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी कब्जेकाश्त की भूमि में गांव की मुख्य आबादी से पहुंचने हेतु आवागमन करने हेतु अपने मवेशीयान चारा फूस बलीता साधन कृषि यंत्र लाने ले जाने हेतु आबादी भूमि में बनी पुख्ता सडक खसरा नंबर 1620 से होते हुए खसरा नंबर 1264 गै0मु0 आबादी में बने रास्ते से खसरा नंबर 1262 के उत्तरी मेड तक तत्पश्चात खसरा नंबर 1259 व 1262 के मध्य मेड पर होते हुए खसरा नंबर 1260 तक निर्बाध रूप से आते रहे है। प्रार्थीगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 1263 स्थित वाके ग्राम बहरावण्डा में होकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार 12 फीट चौडा रास्ता कायम किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड रास्ता में दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार बहरावण्डा घोषित किया जाकर रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी विधिवत जारी की गई। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 की ओर से जवाब पेश करते हुए अंकित किया है कि खसरा नंबर 1263 की डी0एल0सी0 रेट नियमानुसार जमा कराते हुए रास्ता निकाल दिया जावे तो अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थीगण के पास वर्तमान में पहुंच का वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण के आराजी खसरा नंबर 1260, 1262 तक पहुंचने हेतु रास्ता दिया जाना संभव नहीं है क्योंकि गै0मु0 सडक और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के मध्य खसरा संख्या 1263, 1264 स्थित है। जिसमें से खसरा नंबर 1264 गै0मु0 आबादी का है, जिस पर वर्तमान में पुख्ता निर्माण हो रखा है तथा एक तरफ मन्दिर माफी की	

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

भूमि स्थित है एवं अन्य कोई दूसरी जगह से रास्ता प्रस्तावित किया जाना संभव नहीं है।

बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया एवं निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के अनुतोष अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जावे। अप्रार्थीगण द्वारा उनकी खातेदारी भूमि तक सहमति जाहिर की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया, संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण की भूमि एवं नजदीकी रास्ते के मध्य आबादी भूमि खसरा नंबर 1264 स्थित है जिस पर वर्तमान में पुख्ता निर्माण हो रखा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण की भूमि को नजदीकी रास्ते से कनेक्ट किया जाना संभव नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र 251क आर0टी0ए0 खारिज किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा